न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस

वादीगण :–

राजेन्द्र गोदारा पुत्र पेमाराम

जाति जाट निवासी टापरवाड़ा तह. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अणदाराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट
2. गणेशराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट
3. गिरधारी पुत्र अर्जुनराम जाति जाट
4. पूनाराम पुत्र किस्तूर जाति जाट
5. मोहनराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट
6. राधाकिशन पुत्र रामरतन जाति जाट
7. रामनिवास पुत्र किस्तुर जाति जाट
8. रामसुख पुत्र किस्तूर जाति जाट
9. सोहनराम पुत्र किस्तूर जाति जाट सभी निवासी रूघनाथपुरा तहसील परबतसर
10. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत :– घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा नम्बर :– 2024/230

निर्णय दिनांक :– 28.08.2024

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम रूघनाथपुरा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.0100 हैक्टर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.2200 हैक्टर कुल रकबा 0.2300 हैक्टर व खाता संख्या 314 खसरा नम्बर 1023 रकबा 2.0800 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि में वादी का खाता संख्या 4 में 1/8 हक हिस्सा व खाता संख्या 314 में 1/2 हक हिस्सा आया हुआ है तथा वादी खसरा नम्बर 1023 पर अपने हक हिस्से अनुसार काश्त करता आ रहा है तथा इसी अनुसार वादी लगातार काबिज चला आ रहा है तथा काश्त करता आ रहा है। वादी अपने हक हिस्से में आयी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1023 में से रकबा 1.0800 हैक्टर का लगातार निर्बाध रूप से उपयोग उपभाग करता आ रहा है तथा लगाातार काश्त करता व करवाता आ रहा है जिसमें पुख्ता बाड खन्दक लगी हुई है तथा मौके की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये इस वाद के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ट–क वाद पत्र के साथ संलग्न है। तथा वादी के हिस्से को नजरी नक्शा परिशिष्ट–क में मार्क एबीसीडी से दर्शित किया गया है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के आया हुआ है। वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

अपना हिस्सा अजनबी क्रेता को बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादी के हिस्से में जो कृषि भूमि आयी हुई है। उसे अंकित करते हुये बेचान की धमकीया लगातार वादी को दे रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादी के हिस्से की कृषि भूमि का बेचान करने की धमकी देने पर वरादी ने सभी काश्तकारों से मिलकर आपसी सहमति से वर्षों पूर्व किये गये बंटवारे के आधार पर प्रतिवादी तहसीलदार भूमिधारी से बंटवारा करवाने का कहां लेकिन प्रतिवादीगण आनाकानी कर रहे है इस कारण वादी को मजबूरन वर्षो पूर्व हो रखे बंटवारे के अनुसार ही वाद का हक हिस्सा घोषित करवने हेतु घोषणा का वाद लाना आवश्यक हो गया है। वादी को अभी कुछ रोज पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा विधिवत बंटवारा करवाये बगैर ही वर्षों पूर्व हो रखे बंटवारे के विपरित वादी के हिस्से में से बैचान करने की धमकी देने तथा वादी द्वारा भूमिधारी प्रतिवादी तहसीलदार से विधिवत बेंटवारा दर्ज करवाने का अनुनय विनय करने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा नहीं मानने पर बमुकाम रूघनाथपुरा उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन विधिवत तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद इन्तजार करने पर भी अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

हमने वादी के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधिक सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

वादी द्वारा वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम रूघनाथपुरा के खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 1021, 1022 कुल रकबा 0.2300 व खाता संख्या 314 खसरा नम्बर 1023 कुल रकबा 2.0800 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसका विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हो रखा है, उपरोक्त आराजीयत में वादी का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

जिसका विधिवत रूप से बंटवारा नही हो रखा है। प्रतिवादीगण के सम्मन विधिवत रूप से तामिल होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहे है किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं किया है न ही कोई असालतन/ वकालतन जवाब आदि पेश किया है। वादी ने वाद के साथ परिशिष्ट–क पेश कर कब्जा काश्त बताया है। जिसके सम्बन्ध में भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई एतराज पेश नहीं किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण ने भी वादीगण के वाद पर मौन स्वीकृति प्रदान की है। वादी अपनी खातेदारी में दर्ज हक हिस्से के अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम करवाने का

उपखण्ड अधिकारी
परवनसर

निवेदन किया है जिसका वादी को कानूनी अधिकार है। वादी अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम करवाने का निवेदन किया है जिसका वादी को कानूनी अधिकार है। वादी अपने हक हिस्से की भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा करवा कर अपने हक हिस्से की अलग से तरमीम करवाने का अधिकारी है। जिस पर किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई एतराज पेश नहीं किया है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम रूघनाथपुरा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.0100 हैक्टर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.2200 हैक्टर कुल रकबा 0.2300 हैक्टर व खाता संख्या 314 खसरा नम्बर 1023 रकबा 2.0800 हैक्टर भूमि में वाद के साथ संलग्न परिशिष्ठ – (क) के अनुसार वादी तदनुसार खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादी की होल्डिंग कायम की जावे। परिशिष्ठ – (क) डिक्री का पार्ट रहे। शेष भूमि प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में यथावत रहेगी। नियमानुसार बंटवारा स्टाम्प ड्युटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाए। पावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी परबतसर

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर